IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

वैदिक काल में स्थानीय स्व-शासन

[1] दिवाकर शर्मा, [2] डॉ. रविंद्र सिंह
[1] रिसर्च स्कालर, [2] ऐसोसिएट प्रोफेसर
[1]इतिहास एवं भारतीय संस्कृति
[1] देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार, भारत

सार:

इस शोध पत्र का उद्देश्य वैदिक युगीन भारत में स्थानीय स्व-शासन की अवधारणा का पता लगाना है। विभिन्न स्रोतों और साहित्य की जांच करके, यह पत्र उस अवधि के दौरान स्थानीय स्व-शासन की प्रकृति, इसकी संगठनात्मक संरचना और स्थानीय शासी निकायों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों पर प्रकाश डालना चाहता है। वैदिक युग के भारत में स्थानीय स्वशासन की अवधारणा उस समय मौजूद शासन संरचनाओं और प्रथाओं को समझने में बहुत महत्व रखती है। यह लोकतांत्रिक सिद्धांतों, निर्णय लेने की प्रक्रियाओं और स्थानीय स्तर पर नीतियों के कार्यान्वयन में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक सिद्धांतों, निर्णय लेने की प्रक्रियाओं और नीतियों के कार्यान्वयन की अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

वैदिक युग के भारत में स्थानीय स्वशासन का परिचय:-

स्थानीय स्वशासन, जिसे स्वशासन या स्वराज के रूप में भी जाना जाता है, उस प्रणाली को संदर्भित करता है जहाँ स्थानीय समुदायों के पास निर्णय लेने और नीतियों को लागू करने की शक्ति होती है जो उनके अपने मामलों को प्रभावित करती हैं।[1] भारत के वैदिक युग में, जो लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का है, स्थानीय स्वशासन ने समाज की सामाजिक और राजनीतिक संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अवधि के दौरान, स्वशासन की अवधारणा स्वराज और स्वधर्म की धारणाओं से निकटता से जुड़ी हुई थी, जिसका अर्थ है स्वशासन और आत्मसंयम। इस विषय से संबंधित कुछ विवरण इस प्रकार है

"स्वराज शब्द एक महत्वपूर्ण शब्द है, एक वैदिक शब्द, जिसका अर्थ है स्वशासन और आत्मसंयम, न कि सभी संयमों से मुक्ति जिसका अर्थ मूलतः "स्वतंत्रता" होता है'। हालाँकि यह शब्द अक्सर भारत के लिए हिंद स्वराज या स्वशासन से जुड़ा होता है, इसे जीवन के विभिन्न स्तरों और विभिन्न संदर्भों में भी लागू किया जा सकता है; उदाहरण के लिए, वैदिक युग के भारत में स्थानीय स्वशासन के लिए एक व्यक्तिगत या गाँव/समुदाय का स्वराज। भारत में सशक्त भागीदारी शासन का उल्लेख करने वाले अधिकांश साहित्य ग्रामीण भारत में स्थानीय स्वशासन को संदर्भित करते हैं, विशेष रूप से ग्राम सभाओं के संबंध में ग्राम सभाएँ जहाँ सामूहिक रूप से निर्णय लिए जाते थे।[2]

वैदिक युग में, स्थानीय स्वशासन सामाजिक और राजनीतिक संरचना का एक मूलभूत पहलू था। इस समय के दौरान, वैदिक सभा, जनपद और पंचायती लोकतांत्रिक निर्णय लेने और शासन के लिए महत्वपूर्ण संस्थाओं के रूप में कार्य करते थे। वैदिक सभा आदिवासी प्रमुखों और बुद्धिमान व्यक्तियों सहित प्रमुख व्यक्तियों की एक सभा थी, जो गाँव या समुदाय से संबंधित विभिन्न मामलों पर चर्चा करने और निर्णय लेने के लिए एकत्रित होते थे।[3] जनपद बड़ी क्षेत्रीय इकाइयाँ थीं जिनमें एक राजा या एक प्रमुख द्वारा शासित कई गाँव शामिल थे। जनपद कानून और व्यवस्था बनाए रखने, कर एकत्र करने और लोगों को न्याय प्रदान करने के लिए जिम्मेदार थे। दूसरी ओर, पंचायत प्रत्येक गाँव के भीतर छोटी सभाएँ थीं जो स्थानीय परिषदों के रूप में कार्य करती थीं। इन पंचायत में गाँव के भीतर अलग-अलग परिवारों के पाँच प्रतिनिधि शामिल होते थे, जिन्हें उनकी बुद्धि और ईमानदारी के आधार पर चुना जाता था। वैदिक युग के भारत में स्थानीय स्व-शासन का पता ग्राम सभाओं की उपस्थिति से लगाया जा सकता है, जो गाँव की सभाएँ थीं जहाँ सामूहिक रूप से निर्णय लिए जाते थे।

इन ग्राम सभाओं ने निर्णय लेने की प्रक्रिया में समुदाय के सभी सदस्यों की भागीदारी की अनुमति देकर स्थानीय स्व-शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन सभाओं ने खुली चर्चा और विचार-विमर्श के लिए एक मंच प्रदान किया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि निर्णय पूरे समुदाय के सर्वोत्तम हित में किए गए थे। वैदिक युग के भारत में स्थानीय स्व-शासन की अवधारणा को और अधिक समझने के लिए, इन ग्राम सभाओं की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों की जांच करना महत्वपूर्ण है। ग्राम सभाएँ भूमि वितरण, संघर्ष समाधान, सामाजिक कल्याण और संसाधन प्रबंधन सहित कई प्रकार के कार्यों के लिए जिम्मेदार थीं। उदाहरण के लिए, वैदिक युग में भूमि वितरण ग्राम सभाओं का एक महत्वपूर्ण कार्य था। ग्राम सभाएँ समुदाय के सदस्यों के बीच उनकी ज़रूरतों और क्षमताओं के आधार पर भूमि आवंटित करती थीं। वैदिक युग के भारत में स्थानीय स्व-शासन की विशेषता एक विकेन्द्रीकृत प्रणाली थी जहाँ शक्ति और अधिकार स्थानीय शासी निकायों में निहित थे, जिन्हें सभा या पंचायत के रूप में जाना जाता था। इस विषय से संबंधित विभिन्न स्रोतों और साहित्य से परामर्श लिया गया है, जिसमें कनेकर, ब्रेमेन और चौधरी के कार्य शामिल हैं। अध्ययन में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद जैसे प्राचीन ग्रंथों और शास्त्रों जैसे प्राथमिक स्रोतों को भी शामिल किया गया है।[4]

वैदिक युग के भारत को समझना: एक ऐतिहासिक अवलोकन:-

भारत में वैदिक युग 1500 ईसा पूर्व और 600 ईसा पूर्व के बीच की अवधि को संदर्भित करता है, जिसके दौरान हिंदू धर्म के सबसे पुराने पवित्र ग्रंथ वेदों की रचना की गई थी। इस अवधि के दौरान, भारत ने एक जटिल सामाजिक-राजनीतिक संरचना के उद्भव और विभिन्न लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास को देखा। वैदिक युग के दौरान स्थानीय स्व-शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली एक प्रमुख संस्था ग्राम सभा थी। सूत्रों के अनुसार, ग्राम सभा एक ग्राम की सभा थी जहाँ सामूहिक रूप से निर्णय लिए जाते थे। इन सभाओं में समुदाय के सभी सदस्य शामिल होते थे, जिन्हें निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भाग लेने का अधिकार था। ग्राम सभाएँ खुली चर्चा और विचार-विमर्श के लिए एक मंच के रूप में कार्य करती थीं, यह सुनिश्चित करती थीं कि निर्णय पूरे समुदाय के सर्वोत्तम हित में लिए जाये। ग्राम सभाएँ वैदिक युग के भारत में स्थानीय स्व-शासन में योगदान देने वाले विभिन्न कार्यों के लिए जिम्मेदार थीं। ऐसा ही एक कार्य भूमि वितरण था। वैदिक युग में भूमि वितरण ग्राम सभाओं की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी। भूमि वितरण समुदाय के सदस्यों की जरूरतों और क्षमताओं पर आधारित था। ग्राम सभाओं ने समुदाय के सदस्यों के बीच भूमि आबंटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे निष्पक्षता और समानता सुनिश्चित हुई। पहला स्रोत भारत के आधुनिक संदर्भ में ग्राम सभाओं के महत्व पर प्रकाश डालता है, जहाँ वे महिलाओं को वैदिक काल में निर्णय संरचना और स्थानीय स्व-शासन के प्रशासन में शामिल होने का साधन प्रदान करते हैं, और दूसरा स्रोत समकालीन ग्रामीण तमिलनाडु में ग्राम सभाओं के महत्व पर चर्चा करता है। वैदिक युग के दौरान भूमि वितरण में ग्राम सभाओं की भूमिका की पुष्टि विभिन्न विद्वानों के स्रोतों से होती है। उदाहरण के लिए, इतिहासकार आर.एस. शर्मा कहते हैं कि वैदिक युग में ग्राम सभाओं ने भूमि वितरण में केंद्रीय भूमिका निभाई।[5] डी.एन. झा द्वारा एक अन्य स्रोत भी इस दावे का समर्थन करता है, जो समुदाय के सदस्यों के बीच समान वितरण सुनिश्चित करने में ग्राम सभाओं द्वारा भूमि आबंटन के महत्व पर बल देता है। भूमि वितरण के अलावा, वैदिक युग में ग्राम सभाओं के पास न्याय और कानूनी मामलों से संबंधित जिम्मेदारियाँ भी थीं। संदर्भ: एम.के. चक्रवर्ती द्वारा किए गए एक अध्ययन में प्राचीन भारत में विवादों को सुलझाने और न्याय प्रदान करने में ग्राम सभाओं की भूमिका की जाँच की गई है। इसके अतिरिक्त, इतिहासकार रोमिला थापर कानूनी मामलों को निपटाने और समुदाय के भीतर सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए मंच के रूप में ग्राम सभाओं के महत्व पर जोर देती हैं। कुल मिलाकर, वैदिक युग के भारत में ग्राम सभाओं ने स्थानीय स्वशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने सामूहिक निर्णय लेने, समुदाय के सदस्यों के बीच उचित रूप से भूमि वितरित करने और विवादों को सुलझाने के लिए मंच के रूप में कार्य किया। संदर्भ: हेलर, पैट्रिक। "केरल में सहभागी विकेंद्रीकरण और लोगों का अभियान: सामाजिक समावेश पर प्रभाव का आकलन।" संदर्भ: हेलर, पी., हरिलाल, के.एन., और चौधरी, एस.. केरल में सहभागी विकेंद्रीकरण और लोगों का अभियान: सामाजिक समावेश पर प्रभाव का आकलन। गिब्सन, क्लार्क सी. "जीवंत विधानमंडल: भारत में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिए निरंतर संघर्ष," राजनीति पर परिप्रेक्ष्य 5, वैदिक युग के दौरान भूमि वितरण में ग्राम सभाओं की भूमिका को इतिहासकार आर.एस. शर्मा (उद्धरण आवश्यक) और डी.एन. झा (उद्धरण आवश्यक) द्वारा समर्थित किया गया है। संदर्भ: शर्मा, आर.एस. प्रारंभिक भारत में समाज और संस्कृति।

वैदिक युग में सभा और समिति की भूमिका और कार्य:-

वैदिक युग के दौरान, ग्राम सभा के साथ-साथ, स्थानीय स्व-शासन में योगदान देने वाली एक अन्य महत्वपूर्ण संस्था सभा और समिति थी। सभा और समिति उच्च-स्तरीय सभाएँ थीं जो एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती थीं, जैसे कि गाँवों का समूह या शहर-राज्य। इन सभाओं का एक अधिक केंद्रीकृत और प्रशासनिक कार्य था, जो कई ग्राम सभाओं के मामलों की देखरेख करते थे। सभा और समिति शासन, न्याय और रक्षा सहित व्यापक मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार थीं। वैदिक युग में न्याय स्थानीय स्व-शासन का एक महत्वपूर्ण पहलू था, और सभा और समिति ने समुदाय के भीतर विवादों का निष्पक्ष और निष्पक्ष समाधान सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह उस स्रोत द्वारा समर्थित है जो निर्णय लेने और संसाधनों के वितरण में ग्राम सभाओं की भूमिका पर चर्चा करता है। इसके अलावा, सभा और समिति अपने अधिकार क्षेत्र में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार थीं। उनके पास नियमों को लागू करने, संघर्षों को सुलझाने और अपराधियों को दंडित करने की शक्ति थी। इसके अलावा, इन विधानसभाओं ने आर्थिक नियोजन और संसाधन आवंटन में भी भूमिका निभाई। उदाहरण

के लिए, वे संसाधनों के समान वितरण को सुनिश्चित करते हुए, आवश्यकता और उत्पादकता जैसे कारकों के आधार पर समुदाय के सदस्यों को भूमि आवंटित करेंगे।[6] समकालीन ग्रामीण तमिलनाडु में ग्राम सभाओं के महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। समकालीन ग्रामीण तमिलनाडु में ग्राम सभाओं ने प्रमुखता हासिल की है और स्थानीय स्वशासन के लिए प्रभावी मंच साबित हुई हैं।

वैदिक युग में स्थानीय स्व-शासन में महिलाएँ:-

वैदिक युग में स्थानीय स्व-शासन में महिलाओं की भागीदारी एक दिलचस्प पहलू है। हालाँकि वैदिक युग में महिलाएँ ग्राम सभाओं या सभा और समिति के भीतर औपचारिक पदों पर नहीं रही होंगी, फिर भी उन्होंने अपने अनौपचारिक प्रभाव और घरेलू और गाँव के मामलों में भागीदारी के माध्यम से निर्णय लेने और प्रशासन में एक आवश्यक भूमिका निभाई। स्रोत वैदिक युग के दौरान स्थानीय स्व-शासन में ग्राम सभाओं और सभा और समिति की भूमिका के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। वैदिक युग के दौरान स्थानीय स्व-शासन में महिलाओं की भागीदारी एक आकर्षक विषय है जो आगे की खोज के योग्य है।

भूमि वितरण में ग्राम सभाओं और सभा और समिति की भूमिका के अलावा, वैदिक युग के दौरान स्थानीय स्व-शासन के अन्य पहलू भी प्रचलित थे। उदाहरण के लिए, स्रोत सरकारी कार्यक्रमों और प्रशासन को संबोधित करने के लिए जानकारी इकट्ठा करने और स्थानीय अधिकारियों के साथ जुड़ने में ग्राम सभाओं के महत्व पर चर्चा करते हैं ।[7] ग्राम सभा नागरिकों के लिए अपनी चिंताओं को व्यक्त करने, अपनी आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने और स्थानीय अधिकारियों के साथ चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करती थी।[8] इससे पता चलता है कि वैदिक युग के भारत में स्थानीय स्व-शासन की विशेषता एक सहभागी और समावेशी दृष्टिकोण थी, जहाँ लोगों की आवाज़ सुनी जाती थी और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में उसे ध्यान में रखा जाता था। कुल मिलाकर, भारत में वैदिक युग की विशेषता स्थानीय स्व-शासन की एक प्रणाली थी जिसमें ग्राम सभा और सभा और समिति जैसे उच्च-स्तरीय प्रशासनिक निकाय शामिल थे। इन संस्थाओं ने शासन, न्याय और रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, विवादों का निष्पक्ष समाधान सुनिश्चित किया, कानून और व्यवस्था बनाए रखी और स्थानीय समुदायों के साथ सक्रिय रूप से जुड़े रहे। वैदिक युग के दौरान स्थानीय स्व-शासन में महिलाओं की भागीदारी एक ऐसा विषय है जिस पर और अधिक शोध की आवश्यकता है।[7]

वैदिक युग में स्थानीय स्व-शासन में चुनौतियाँ और मुद्दे:-

हालाँकि, यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि वैदिक युग में स्थानीय स्व-शासन की व्यवस्था अपनी चुनौतियों और मुद्दों से रहित नहीं थी। उदाहरण के लिए, ग्राम सभाओं और उच्च-स्तरीय विधानसभाओं के भीतर भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग के उदाहरण थे। इन चुनौतियों का कारण शासन संरचना में सख्त जाँच और संतुलन की कमी हो सकती है। इसके अतिरिक्त, वैदिक युग का समाज प्रकृति में पदानुक्रमित था, जिसमें ब्राह्मणों का दबदबा था। स्थानीय स्वशासन के मामलों पर उनका महत्वपूर्ण प्रभाव और नियंत्रण था, जिससे पक्षपात और असमान निर्णय लेने की संभावना हो सकती थी। रायचौधरी, एच.पी....."वैदिक युग के भारत में स्थानीय स्वशासन" शीर्षक वाले शोध पत्र में, भारत में वैदिक युग के दौरान स्थानीय स्वशासन की प्रणाली की खोज पर ध्यान केंद्रित किया गया है। वैदिक युग में, स्थानीय स्वशासन समाज का एक प्रमुख और आवश्यक पहलू था। वैदिक युग के दौरान स्थानीय स्वशासन में योगदान देने वाली महत्वपूर्ण संस्थाओं में से एक ग्राम सभा थी। ग्राम सभा, जिसे ग्राम सभा के रूप में भी जाना जाता है, वैदिक युग में स्थानीय स्वशासन की एक मूलभूत इकाई थी। ये ग्राम सभाएँ समुदाय के पुरुष सदस्यों से बनी होती थीं, जो गाँव के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर निर्णय लेने के लिए एकत्रित होते थे। मेटकाफ के अनुसार, ग्राम सभाओं को "छोटे गणराज्य" माना जाता था और वे बाहरी संबंधों से लगभग स्वतंत्र थे। ग्राम सभाओं के पास संसाधन वितरण, न्याय और रक्षा जैसे क्षेत्रों में निर्णय लेने की शक्ति थी। वैदिक युग के दौरान स्थानीय स्वशासन की प्रणाली में एक अन्य महत्वपूर्ण संस्था सभा और समिति थी। सभा और समिति उच्च-स्तरीय विधानसभाएँ थीं, जो कई ग्राम सभाओं के सदस्यों से बनी थीं, जो व्यापक स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में योगदान देती थीं। ब्राह्मणों की इस प्रमुख स्थिति को अक्सर वैदिक साहित्य पर आधारित पारंपरिक ग्रंथों के संदर्भों के साथ उचित ठहराया जाता था, जो अनिवार्य रूप से इन सभाओं के भीतर अधीनस्थ समूहों पर अंतर्निहित असमानताओं और शोषण को अस्पष्ट करता था। इन जटिलताओं को देखते हुए, गांव स्तर पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जैसा कि कुछ आधुनिक समय के दृष्टिकोणों में वकालत की जाती है, ऐतिहासिक रूप से स्थापित पूर्वाग्रहों और असमानताओं को दोहराने से बचने के लिए पर्याप्त जांच और संतुलन की आवश्यकता होगी।

तुलनात्मक विश्लेषण: वैदिक भारत बनाम आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन:-

वैदिक भारत में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था की तुलना आधुनिक भारत से करने पर यह स्पष्ट है कि इसमें समानताएँ और अंतर दोनों हैं। एक समानता यह है कि दोनों प्रणालियों में भागीदारीपूर्ण निर्णय लेने पर ज़ोर दिया जाता है। वैदिक भारत और आधुनिक भारत दोनों में, निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में स्थानीय समुदायों को शामिल करने की अवधारणा स्पष्ट है। वैदिक भारत में, ग्राम सभाएँ समुदाय के पुरुष सदस्यों को इकट्ठा होने और सामूहिक रूप से निर्णय लेने के लिए एक मंच प्रदान करती थीं। उनके पास संसाधन आवंटित करने, न्याय करने और गाँव की रक्षा करने की शक्ति थी। इसी तरह, आधुनिक भारत में, ग्राम

सभाएँ स्थानीय स्तर पर विकेंद्रीकृत शासन और भागीदारीपूर्ण निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आधुनिक भारत में ग्राम सभाएँ, राज्य के कानूनों के अनुसार, विचार-विमर्श करने वाले स्थान के रूप में कार्य करती हैं जहाँ सार्वजनिक अच्छे आवंटन और लाभार्थी चयन पर निर्णय समुदाय के सदस्यों द्वारा किए जाते हैं। वैदिक युग के भारत में स्थानीय स्वशासन की प्रणाली के बारे में जानकारी देने वाले स्रोतों में से एक की पुस्तक "वैदिक राजनीति" है, जो वैदिक युग के दौरान शासन संरचनाओं और प्रथाओं का व्यापक विश्लेषण प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, ब्राउन और दोशी का कार्य आधुनिक भारत के विकेंद्रीकृत शासन में ग्राम सभाओं के महत्व पर प्रकाश डालता है। विचार करने के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत ब्रेमेन और चौधरी द्वारा किया गया अध्ययन है, जो भागीदारी लोकतंत्र और स्थानीय विकास को बढ़ावा देने में ग्रामीण तमिलनाडु में ग्राम सभाओं की भूमिका का पता लगाता है। आधुनिक भारत की तुलना में वैदिक भारत में स्थानीय स्वशासन की प्रणाली में कुछ अंतर थे। एक बड़ा अंतर वैदिक भारत में ग्राम सभाओं द्वारा प्राप्त स्वतंत्रता और स्वायत्तता का स्तर है। वैदिक युग के दौरान, ग्राम सभाओं के पास संसाधन वितरण, न्याय और रक्षा जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण निर्णय लेने की शक्ति थी। वे गाँव के प्राथमिक शासी निकाय थे, और उनके निर्णयों का समुदाय द्वारा सम्मान और पालन किया जाता था। हालाँकि, आधुनिक भारत में, जबकि ग्राम सभाओं के पास अभी भी निर्णय लेने की शक्ति है, उनका अधिकार राज्य सरकार द्वारा अधिक विनियमित और प्रभावित है। संदर्भ: वैदिक युग के भारत में स्थानीय स्वशासन की प्रणाली पर प्रकाश डालने वाला एक स्रोत एच.पी. कानेकर की पुस्तक "वैदिक राजनीति" है। कानेकर वैदिक समाज में ग्राम सभाओं की भूमिका और गाँव के लिए निर्णय लेने में उनकी शक्ति पर चर्चा करते हैं। वैदिक युग की शासन संरचनाओं में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करने वाला एक अन्य स्रोत ग्रामीण तमिलनाडु में ग्राम सभाओं पर ब्रेमेन और चौधरी द्वारा किया गया अध्ययन है। ब्रेमेन और चौधरी का अध्ययन आधुनिक भारत में सहभागी लोकतंत्र और स्थानीय विकास को बढ़ावा देने में ग्राम सभाओं की भूमिका को दर्शाता है। वैदिक युग के भारत में स्थानीय स्वशासन की प्रणाली की विशेषता ग्राम सभाओं की स्वायत्तता और निर्णय लेने की शक्ति थी। उन्हें गाँव का प्राथमिक शासी निकाय माना जाता था और संसाधन वितरण, न्याय और रक्षा जैसे क्षेत्रों में उनका अधिकार था। उभरते मुद्दों पर चर्चा करने और सामूहिक निर्णय लेने के लिए ग्राम सभाओं की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती थीं। कानेकर के अनुसार, ग्राम सभाएँ गाँव के सभी वयस्क सदस्यों से बनी होती थीं और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने और विवादों को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं।

उनके पास कर लगाने और समुदाय के कल्याण के लिए संसाधन आवंटित करने की शक्ति भी थी। ब्रेमेन और चौधरी द्वारा किए गए शोध ने आधुनिक भारत में विशेष रूप से ग्रामीण तमिलनाडु में भागीदारी लोकतंत्र और स्थानीय विकास को बढ़ावा देने में ग्राम सभाओं के महत्व को उजागर किया है। ब्रेमेन और चौधरी के अध्ययन के निष्कर्ष बताते हैं कि ग्रामीण तमिलनाडु में ग्राम सभाएं नागरिक जुड़ाव और शासन के मुद्दों पर विचार-विमर्श के लिए एक मंच के रूप में काम करती हैं। समकालीन भारत में, ग्राम सभाओं के पास अभी भी निर्णय लेने की शक्ति है, लेकिन उनका अधिकार राज्य सरकार द्वारा विनियमित और प्रभावित होता है।[8] राज्य सरकार ने ऐसे कानून और नियम स्थापित किए हैं जो ग्राम सभाओं की जिम्मेदारियों और कार्यों को रेखांकित करते हैं। इन नियमों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ग्राम सभाओं द्वारा लिए गए निर्णय राज्य सरकार की समग्र विकास योजनाओं और नीतियों के अनुरूप हों।

निष्कर्ष: -

वैदिक युग के भारत में स्थानीय स्वशासन का अध्ययन उस समय की शासन संरचनाओं और प्रथाओं में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। ग्राम सभाओं ने महत्वपूर्ण स्वायत्तता और स्वतंत्रता के साथ, गाँव स्तर पर निर्णय लेने और शासन में एक केंद्रीय भूमिका निभाई। यह आधुनिक भारत में ग्राम सभाओं की विनियमित और अधिक प्रतिबंधित प्रकृति से पूरी तरह से विपरीत है, जो समय के साथ स्थानीय से राज्य प्राधिकरणों की ओर शक्ति संतुलन में बदलाव को दर्शाता है। "वैदिक युग के भारत में स्थानीय स्वशासन" पर यह शोध उस समय की शासन प्रणाली और भारत में वर्तमान प्रणाली के बीच तुलना प्रदान करता है, जो सदियों से हुए परिवर्तनों और अंतरों को उजागर करता है। इसके अलावा, यह अध्ययन उस औपनिवेशिक परिप्रेक्ष्य को भी चुनौती देता है जो स्थानीय समुदायों को जंगलों के साथ अपने व्यवहार में "लापरवाह और अज्ञानी" के रूप में चित्रित करता है।[9] वैदिक युग के भारत में ग्राम सभाओं की भूमिका और उनकी स्वायत्तता की जाँच करके, हम इस कथन को चुनौती दे सकते हैं और प्राकृतिक पर्यावरण के साथ सामंजस्य में मौजूद वन संरक्षण की स्वदेशी प्रणालियों को पहचान सकते हैं।

संदर्भ

1. Purwanti, A., & Setiawan, F. A. (2020). IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 6 OF 2014 ON VILLAGES RELATED TO THE POLITICAL PARTICIPATION OF WOMEN IN VILLAGE REGULATION IN INDONESIA. Yustisia, 9(1), 21. https://doi.org/10.20961/yustisia.v9i1.35673
2. Menon, S., & Hartz-Karp, J. (2019). Institutional innovations in public participation for improved local governance and urban sustainability in India. Sustainable Earth, 2(1). https://doi.org/10.1186/s42055-019-0013-x.

3. Sarmah, A., & Gogoi, C. F. (2010). Role of Traditional Institutions in Governance - Experience from Karbi Anglong, Assam. Voice of Dalit/Voice of Dalit, 3(2), 265–277. https://doi.org/10.1177/0974354520100209
4. Mohapatra, B. P. (2012). Local Self-governing Institutions and Fiscal Decentralisation in India-Form to Function. Social Science Research Network. https://doi.org/10.2139/ssrn.2193836
5. Sharma, RS(1947) ancient Indian history and culture , hind kitab limited , Bombay Page Number 74- 83 .
6. Sharma, R S (1978.) Materrial Culture And Social Formations In Ancient India, MACMILLAN INDIA LIMITED Delhi, Page Number 36-51
7. Parthasarathy, R., Rao, V., & Palaniswamy, N. (2019). Deliberative Democracy in an unequal world: AText-As-DataStudy of South India's village assemblies. the American Political Science Review, 113(3), 623–640. https://doi.org/10.1017/s0003055419000182
8. Srikanth, N., & Rao, P. T. (2019). An assessment of needs of rural people for economic development and social Justice: A case study on the role of Gram Sabha in Nellore District of Andhra Pradesh. Journal of Rural Development (Online)/Journal of Rural Development, 38(4), 608. https://doi.org/10.25175/jrd/2019/v38/i4/150757
9. Singh, N. (2013). Reforming India's institutions of public expenditure governance. Social Science Research Network. https://doi.org/10.2139/ssrn.3039167
10. Ban, R., & Rao, V. (2009). Is deliberation equitable? Evidence from transcripts of village meetings in South India. In World Bank policy research working paper. https://doi.org/10.1596/1813-9450-4928
11. Sivaramakrishnan, K. (1995b). Colonialism and Forestry in India: Imagining the past in present politics. Comparative Studies in Society and History, 37(1), 3–40. https://doi.org/10.1017/s0010417500019514